न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा।
विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 49 / 2022

राज्य बनाम जगदीश भट्ट व एक अन्य

23–05–2023

वाद पुकारा गया। अभियुक्त जगदीश भट्ट व कैलाश नाथ जिला कारागार अल्मोड़ा में निरूद्ध हैं। पुलिस बल की कमी के दृष्टिगत अभियुक्तगणों को आज जिला कारागार से वीडियों कान्फेंसिंग के माध्यम से उपस्थित कराया गया। उक्त बावत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा एवं कारपाल, जिला कारागार अल्मोड़ा द्वारा पत्र भी प्रेषित किया गया है। अभियुक्त जगदीश भट्ट की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज बृजवाल एवं अभियुक्त कैलाश नाथ की ओर से विद्वान न्यायमित्र श्री गजेन्द्र सिंह मेहता उपस्थित हैं। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री पूरन सिंह कैड़ा एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री एस0सी0 नैल्वाल उपस्थित हैं। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

74ख प्रार्थना–पत्र अभियोजन की ओर से गवाह कानि0 दिनेश नगरकोटी उच्चाधिकारियों से अनुमति नही मिल पाने के कारण एवं गवाह एचसी दीपक खनका कार सरकार की अधिकता के कारण आज न्यायालय उपस्थित नही हो पाने के कारण मामले में साक्ष्य हेतु एक अन्य तिथि चाहने बावत पेश।

सुना। प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 06–06–2023 को शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश की जाये। अभियोजन साक्षियों को नियत तिथि के लिए समन जारी हो।

(कौशल किशोर शुक्ला)
विशेष सत्र न्यायाधीश,अल्मोड़ा।